

**न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर**  
**पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.**  
पत्रावली संख्या : 207 / 2025 अन्तर्गत प्रतिभूति-हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002

राजस्थान ग्रामीण बैंक, जरिये प्राधिकृत अधिकारी  
 शाखा:- बावड़ी, सीकर (राज.)

-प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. महिपालसिंह पुत्र हनुमानसिंह, मु.पो. बावड़ी, रींगस, सीकर (राज.)
2. बद्रीश कुमार पुत्र सेडूराम जाट, बावड़ी, खण्डेला, सीकर (राज.)
3. हरदेवराम पुत्र बीजाराम जाट, बावड़ी, खण्डेला, सीकर (राज.)

-अप्रार्थीगण (ऋणी / सहऋणी / बंधककर्ता)

**The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.**

**स्वीकृति आदेश**

दिनांक: 15 दिसम्बर, 2025



1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री महेश कुमार मिश्रा द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 क्रमशः महिपालसिंह पुत्र हनुमानसिंह, बद्रीश कुमार पुत्र सेडूराम जाट एवं हरदेवराम पुत्र बीजाराम जाट की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी महिपालसिंह पुत्र हनुमानसिंह के स्वामित्व की बंधक आवासीय सम्पत्ति एन.एच. 52, पट्टा नं. 02, ग्राम बावड़ी, जिला सीकर, (राज.) में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 141.22 वर्गगज है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं- पूरब दिशा में हरिसिंह पुत्र गंगुराम जाट के पुराने मकान, पश्चिम दिशा में स्वयं के लेट-बाथ के साथ खाली भूमि, उत्तर दिशा में भगवान सहाय सेन के पुख्ता मकान एवं दक्षिण दिशा में स्वयं की भूमि के बाद एन.एच. 52 स्थित है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर कुल ₹20,00,000/- रुपये (अक्षरे रुपये बीस लाख) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई

१

(मुकुल शर्मा)  
 जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **13.05.2025** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थी की ओर से वकील श्री अतुल चौधरी उपस्थित हुए परन्तु बकाया ऋण भुगतान से सम्बन्धित कोई दस्तावेजी साक्ष्य इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है।
3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **13.05.2025** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।
5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 क्रमशः **महिपालसिंह पुत्र हनुमानसिंह, बद्रीश कुमार पुत्र सेडूराम जाट एवं हरदेवराम पुत्र बीजाराम जाट** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **महिपालसिंह पुत्र हनुमानसिंह** के स्वामित्व की बंधक आवासीय सम्पत्ति **एन.एच. 52, पट्टा नं. 02, ग्राम बावड़ी, जिला सीकर, (राज.)** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 141.22 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं— पूरब दिशा में हरिसिंह पुत्र गंगुराम जाट के पुराने मकान, पश्चिम दिशा में स्वयं के लेट-बाथ के साथ खाली भूमि, उत्तर दिशा में भगवान सहाय सेन के पुख्ता



  
 (मुकुल शर्मा)  
 जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

मकान एवं दक्षिण दिशा में स्वयं की भूमि के बाद एन.एच. 52 स्थित है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के **स्वीकृति आदेश** प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर **किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर** दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांक **15 दिसम्बर, 2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(मुकुल शर्मा)  
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर  
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर